तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जो
2-11-21	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर बहस वकील वादिया सुनी गई। फैसल वास्ते आदेश हेतु दिनांक 6-12-21 को पेश हो।	
	उप खण्ड अधिकारी पिलानी जिला झुन्झुनूं (राज.)	
6-12-21	पत्रावली पेश हुई। वाद वादीगण डिक्री किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के चलने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाप्ता दाखील दफ्तर हो।	
	उप खण्ड अधिकारी पिलानी जिला झुन्झुनूं (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.06.27 16:08:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner